न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 36/2020 दायरा दिनांक : 20.07.2020

उनवान

राजेन्द्र कुमार नाहर पुत्र श्री इन्दरमल नाहर, जाति महाजन, निवासी भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 18.11.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 1/प्रार्थना पत्र/2020 निर्णय दिनांक 20.02.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1/914, 1/903, 2/1, 2/2 एवं 2/3 कुल रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा स्थित है । प्रार्थी की भूमि एवं भीमनगर के रास्ते के बीच में भूमि राजस्थान सरकार खसरा नम्बर 1/908 रकबा 1.0116 हेक्टर है । उक्त खसरा नम्बर 108 की भूमि में से प्रार्थी को पहुंच मार्ग हेतु 408.

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

45 गुणा 30 फीट रास्ते की भूमि की आवश्यकता है । इस भूमि पर प्रार्थी को धारा 251(ए) के प्रावधानों के तहत रास्ता दिया जावे । रास्ते के लिये जो भी भूमि आवे उसकी डी एल सी रेट जमा करवायी जाकर प्रार्थी के खेत तक आने जाने के लिये रास्ता दिया जावे । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मूल ही पत्रादि तहसीलदार साहब को प्रेषित कर रिपोर्ट मंगवायी गई । तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 14.02.2020 के मुताबिक प्रार्थी अपीलांट की प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि 1/914 दर्ज रिकार्ड पाया गया एवं प्रार्थी की भूमि पर आने जाने के लिये एक रास्ता रिलाईन्स पैट्रोल पम्प के सामने स्थित रेल्वे लाईन के अण्डरपास होते हुए कुछ दूरी खसरा नम्बर 6 के कुछ आगे तक चालू तथा कुछ भाग चलन में नहीं होने से झाडियों से घिरा हुआ पाया गया है एवं नया पृथक रास्ता दिये जाने की अभिसंक्षा की गई एवं पूर्व पत्रों में भी अपीलांट द्वारा चाहा गया रास्ते के उपयोग हेतु बताया गया । समस्त रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के ही यह मानकर वैकल्पिक रास्ता होने पर रास्ता देय नहीं है और प्रार्थना पत्र को दिनांक 20.02.2020 को फैसल कर दिया गया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलांट की आराजी के पश्चिम में मुगलाना व झवानीमण्डी के मध्य मुताबिक नक्शा लठ्ठा खसरा नम्बर 10 गैर मुमकिन रास्ता जो पूर्व में कभी था उस रास्ते में रेल्वे अण्डरपास में पानी आने पर काफी पानी भरा रहता है और वहां पर से निकलना संभव नहीं है । तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 14.02.2020 से स्पष्ट था इस प्रकार इस रिपोर्ट से स्पष्ट था कि जो वैकल्पिक रास्ता है वह अण्डरपास एवं झाडियों के कारण चलन में नहीं है और चलने में नहीं आ सकता इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दर किया है । भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 24.12.2019 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि जो रास्ता अपीलांट द्वारा चाहा गया है यह भूमि रास्ते हेतु उपर्युक्त मानी गयी है इस रिपोर्ट को भी

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्धाधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज किया गया है । पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं साक्ष्य से यह पूर्णतया साबित है कि अपीलांट को अपनी भूमि पर आने जाने से प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता ही उपलब्ध है । जब वैकथ्लपक रास्ता ही नहीं है तो अपीलांट धारा 151 (ए) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत डी एल सी रेट पर प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है । अपीलांट को अपने खाते की आराजी 14 बीघा 19 बिस्वा पर आने जाने के लिये खसरा नम्बर 1/908 की सिवाय चक आराजी से 408.45 गुणा 30 फुट अर्थात् 12 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु दिये जाने में लैण्ड होल्डर तहसीलदार पचपहाड को भी कोई आपत्ति नहीं है और यह भूमि रास्ते हेतु उपर्युक्त मानी गयी है । अपीलांट द्वारा रास्ते के लिये चाही गई भूमि रेल्वे लाईन से 70 फीट दूर है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट को देने में कोई कानूनी बाधा नहीं है । क्योंकि उक्त भूमि का उपयोग निर्माण कार्य के लिये नहीं किया जाना है केवल रास्ते के लिये उपयोग करना है । इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2020 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.07.2020 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि धारा 251(ए) के तहत 14 बीघा 19 बिस्वा आराजी पर जाने के लिए रास्ता नहीं है जो खसरा नम्बर 108 की भूमि में से रास्ता दिया जावे । धारा 151 (ए) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत डी एल सी रेट पर रास्ता दिया जावे । एक

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

रास्ता रेल्वे ब्रिज से है अधीनस्थ न्यायालय ने हमारा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है । तहसीलदार की रिपोर्ट रेल्वे लाईन से निर्धारित दूरी पर रास्ता दिया जा सकता है जिसमें कोई कानूनी बिन्दू नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपहाड़ से दिनांक 07.01.2020 को रास्ते बाबत् विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई । दिनांक 31.01.2020 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा कुछ बिन्दुओं पर तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी गई । तहसीलदार की उपखण्ड अधिकारी को प्रषित रिपोर्ट दिनांक 14.02.2020 में अंकन किया है कि आवेदक की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1/94 तक रास्ता रिलायन्स पेट्रोल पम्प के सामने स्थित रेल्वे लाईन के अण्डर पास से होते हुए कुछ दूरी तक चालू हैं तथा कुछ भाग चलन में नहीं होने से झाडियों से घिरा हुआ है जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को अपनी भूमि पर जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है । उपखण्ड अधिकारी द्वारा पूर्ण जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् निर्णय पारित किया है जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2020 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा